स्पीड पोस्ट द्वारा

DGT-Daff/69/2019-O/o DIR (TC)(UP)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 26.11.2020

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी,
एस आर प्राइवेट आईटीआई,
दिबियापुर औरैया
जिला - औरिया, उत्तर प्रदेश - 206122

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2581/ टी-3 / रा० प० / सं० / शिकायत / 2020 दिनांक 09.11.2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की इस महानिदेशालय को दिनांक 24.11.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमे राज्य निदेशालय ने उक्त आईटीआई की शिकायती पत्र के आधार पर निरीक्षण करते हुए जाँच की कार्यवाही पूर्ण की एवं संस्थान की मान्यता समाप्त करने की संस्तुति की गयी है **जाँच रिपोर्ट संलग्न हैं** |

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के **15 दिन के भीतर (11.12.2020 तक)** प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते है । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

- आपको कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित करना है |

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश |
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PU09900761)
3. श्री अरुण कुमार वर्मा, मु० चोधरयाना, जालौन, उत्तर प्रदेश | (मोबिल नंबर - 9838623196)

(रवि चिलुकोटी)
संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

प्रेषक,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उ0प्र0, लखनऊ।

ई-मेल/स्पीड-पोस्ट

सेवा में,

निदेशक(प्रशिक्षण),
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय,
प्रथम तल, सी0आई0आर0टी0एस0 बिल्डिंग,
आई0ए0आर0आई0 कैम्पस, पूसा नई दिल्ली-110012

पत्रांकः 258 /टी-3/रा0प0/सं0/शिकायत/2020 लखनऊ, दिनांक 09/11, 2020

विषयः **जनपद औरैया में निजी औ0प्र0संस्थानों की निरीक्षण आख्या का प्रेषण।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया निदेशालय पत्र संख्या-699 टी-3/रा0प0/सं0/शिकायत/2020 दिनांक 17.08.2020 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा संयुक्त निदेशक(प्रशि0/शिक्षु0) कानपुर मण्डल कानपुर को वि-ायांकित प्रकरण पर जांच करने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त संबंध में अवगत कराना है कि संयुक्त निदेशक(प्रशि0/शिक्षु0) कानपुर मण्डल कानपुर के पत्र संख्या-सं0नि0का0/निजीकेन्द्र/निरीक्षण/2020/637 दिनांक 07.10.2020 द्वारा सांईराम निजी औ0प्र0संस्थान, औरैया(कोड संख्या-2505) तथा एस0आर0 निजी औ0प्र0संस्थान, दिबियापुर, औरैया (कोड संख्या-3670) की जांच रिपोर्ट उपलब्ध करायी गयी है।

अतः उपरोक्त दोनों निजी संस्थानों की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 07.10.2020 की छाया प्रति पत्र के साथ संलग्न करते हुये, जिसमें संस्थान की मान्यता समाप्त करने की संस्तुति की गयी है, को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
6/11/2020
(कुणाल सिल्कू)
निदेशक

C. Section, DGT
Dy. No. 3464
Date 24/11/2020

Shyam-2020

ई0मेल

प्रेषक,

संयुक्त निदेशक (प्रशि0 / शिक्षु0)
कानपुर, मण्डल,
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर,
पाण्डुनगर, कानपुर–208005

सेवामें,

निदेशक (नाम से)
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन उ0प्र0
लखनऊ।

पत्रांकः– स0नि0का0 / निजी केन्द्र / निरीक्षण / 2020 /637 **दिनांकः** 07.10.2020

विषयः– जनपद औरैया में निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की निरीक्षण आख्या का प्रेषण।

महोदय,

कृपया निदेशालय के पत्रांक–699 / टी–3 / रा0प0 / सं0 / शिकायत / 2020 दिनॉक–17.08.2020 के अनुपालन में जनपद औरैया के सांईराम निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बमुरीपुर औरैया (कोड संख्या–2505) एवं एस0आर0 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दिबियापुर औरैया (कोड संख्या–3670) का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण आख्या फोटोग्राफ्स सी0डी0 के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय

(राहुल देव)
संयुक्त निदेशक(प्रशि0 / शिक्षु0)

श्री रमेश शुक्ला (A.O)
कृ. तत्काल
12.10.2020

श्री वीरेन्द्र
12.10.2020

पत्रावली दिनांक 14.10.2020 को दी गई
14.10.2020

Exam file-2020

संयुक्त निदेशक (प्रशि0/शिक्षु0) कानपुर मण्डल द्वारा दिनांक–29.09.2020 को एस0आर0 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दिबियापुर औरैया (कोड संख्या–3670) की शिकायत पर की गयी जांच आख्या का प्रेषण (दो प्रतियों में) –

निदेशालय के पत्र संख्या–699/टी–3/रा0प0/सं0/शिकायत/2020 दिनांक–17.08.2020 के द्वारा शिकायतकर्ता श्री अरुण कुमार वर्मा पुत्र श्री हीरालाल वर्मा मु0–चौधरयाना, जालौन, उ0प्र0 की शिकायत के क्रम में दिनांक–29.09.2020 को पूर्वान्ह 11.15 बजे अधोहस्ताक्षरी द्वारा नोडल प्रधानाचार्य के साथ एस0आर0 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दिबियापुर औरैया (कोड संख्या–3670) का निरीक्षण किया गया। संस्थान को भारत सरकार द्वारा व्यवसाय फिटर में (2+2+2) कुल–06 यूनिट एवं विद्युतकार (2+2+2) कुल–06 यूनिट की मान्यता द्वारा वर्ष–2018 में प्रदान की गयी है।

शिकायतकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया है, कि एस0आर0 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दिबियापुर औरैया (कोड संख्या–3670) की मान्यता पं0 बेटालाल लक्ष्मी नारायण महाविद्यालय, सुरान दिबियापुर रोड औरैया की निरीक्षण कराकर गलत तथ्यों एवं भारत सरकार के प्रतिनिधियों (क्यू0सी0आई0) को गुमराह करके प्राप्त की गयी है, निरीक्षण के समय मौके पर कोई भी महाविद्यालय नहीं मिला, परन्तु एस0आर0 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का भवन देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि उसे कुछ माह पूर्व ही बनवाया गया है। मान्यता के दो वर्ष बाद भी संस्थान का भवन मानक के अनुरुप नहीं पाया गया। बिजली का कनेक्शन नहीं पाया गया। कार्यशाला की फर्श जगह–जगह धंसी हुई थी। निरीक्षण के समय संस्थान में चहारदिवारी नहीं पायी गयी, जबकि दिल्ली–हाबडा मुख्य रेलवे लाइन संस्थान से मात्र 20 मीटर दूर स्थित है। ऐसी दशा में छात्रों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से संस्थान पूर्णता असुरक्षित पाया गया।

निरीक्षण के समय संस्थान में प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिये जाने का कोई भी प्रमाण नहीं मिला, जबकि दिनांक–21.09.2020 से आईटीआई का संचालन किये जाने के निर्देश होने के बाद भी संस्थान में प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है। संस्थान में कोई भी स्टाफ उपस्थित नहीं था। जिससे मशीनों का संचालन नही देख जा सका। कई मशीनों में बिजली का कनेक्शन नहीं था। संस्थान के बिजली मीटर के बारे में पूछने पर बताया गया कि बिजली का कनेक्शन कटवा दिया गया है। जबकि न तो संस्थान में बिजली मीटर था एवं न ही विद्युत बिल, कनेक्शन लगाने की मीटर सीलिंग रिपोर्ट अथवा बिजली कनेक्शन कटवाने का प्रमाण भी मौके पर मौजूद प्रबंधक नहीं दे सके। दूर–दूर तक ट्रांसफार्मर भी नहीं पाया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि संस्थान में बिजली कनेक्शन लिया ही नहीं गया एवं कागजों में हेरा–फेरी करके निदेशालय व डी0जी0टी0 को भ्रमित किया गया।

संस्थान के निरीक्षण के समय एक मात्र क्लास रुम एवं प्लेसमेंट कक्ष में भवन निर्माण में उपयोग लायी जाने वाली सामग्री, लकडी आदि भरी पायी गयी। लेथ मशीन व पैनल आदि लगे हुये पाये गये किंतु उन पर कार्य करने में सहायक टूल्स आदि संस्थान में नहीं मिले। एक ही हाल में विद्युतकार एवं फिटर की कार्यशाला पायी गयी। मशीन, उपकरण आदि को चलाने के लिये बिजली नहीं पायी गयी एवं न ही दूर–दूर तक कोई विद्युत तार दिखायी दिये। मौके पर लगी हुई मशीनों को जनरेटर से चलाकर कार्यशाला में बिजली की आपूर्ति दिखायी गयी। अभिलेखानुसार विगत वर्षो से प्रशिक्षण से सम्बंधित कोई साक्ष्य/अभिलेख प्रबंधक द्वारा नहीं दिखाये गये। संस्थान में सीटों के अनुसार प्रवेश लिये गये किंतु संस्थान द्वारा प्रशिक्षार्थियों के प्रति उपेक्षा करके उन्हें किसी प्रकार का कोई प्रशिक्षण नहीं प्रदान किया जा रहा है।

प्रबंधक द्वारा उपलब्ध कराया गया बी0सी0सी0 प्रमाण पत्र भी संदेहास्पद (छायाप्रति संलग्न) है। सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण पत्र संख्या–7824 दिनांक–25.11.2013 (छायाप्रति संलग्न) जो 05 वर्ष के नवीकृत किया गया था का अद्यतन प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं कराया गया। निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ्स संलग्न है।

निरीक्षण के समय एस0आर0 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दिबियापुर औरैया (कोड संख्या—3670) की फर्जी तरीके एवं मनमाने ढंग से आईटीआई संचालित किये जाने की शिकायत की पुष्टि पायी गयी जिसके फलस्वरुप एस0आर0 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दिबियापुर औरैया की मान्यता समाप्त करने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार

(राहुल देव)
संयुक्त निदेशक,(प्रशि0 / शिक्षु0)

पंत्राकः—नि0 / 001 / औरैया / 2020 / 639

कार्यालय—संयुक्त निदेशक(प्रशि0 / शिक्षु0)
कानपुर मण्डल,
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,परिसर
पाण्डुनगर कानपुर।**दिनांक— 07.10.2020**

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, औरैया।
3. प्रधानाचार्य ,राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अजीतमल औरैया।

(राहुल देव)
संयुक्त निदेशक,(प्रशि0 / शिक्षु0)

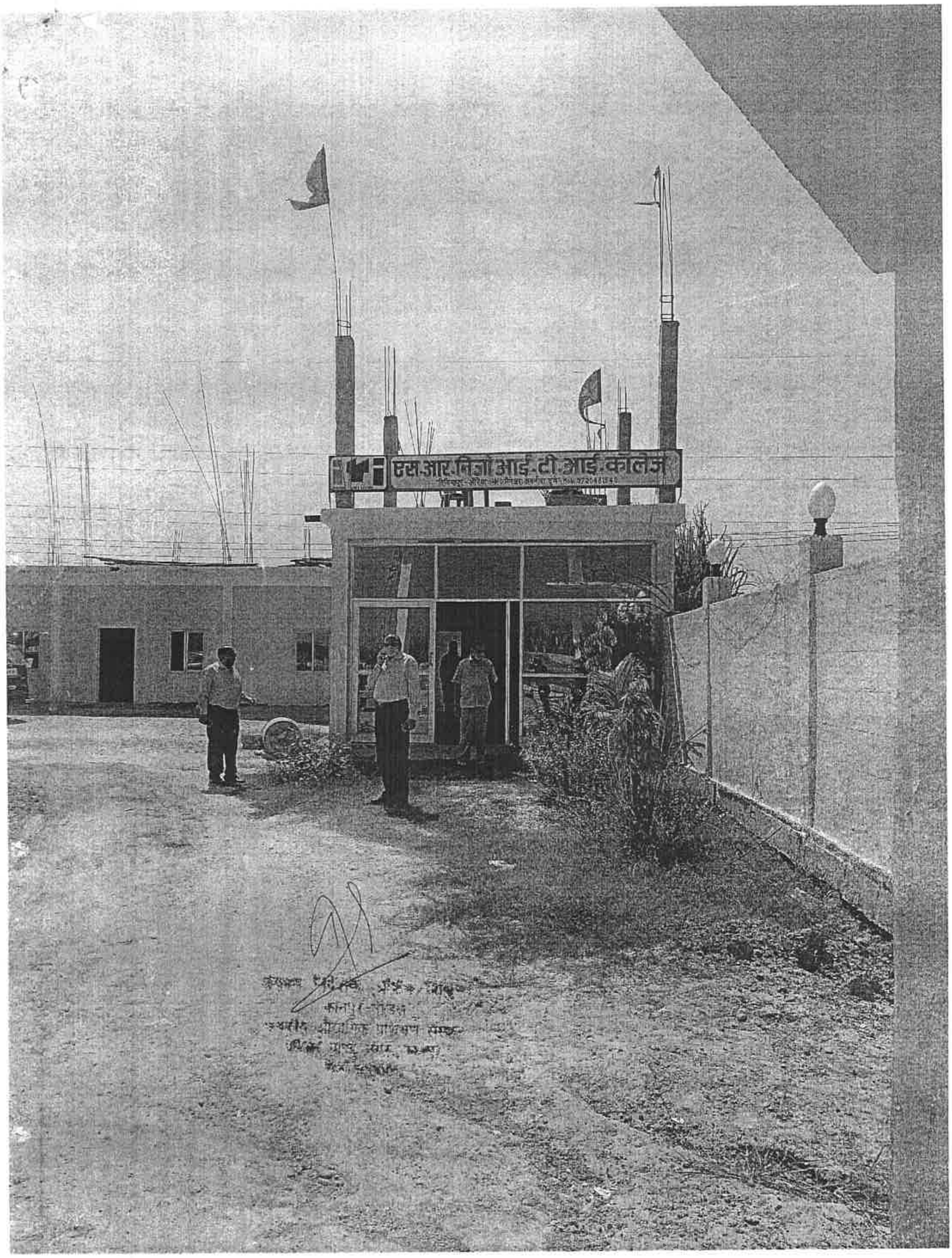
एस.आर. मिर्जा आई.टी.आई. कॉलेज

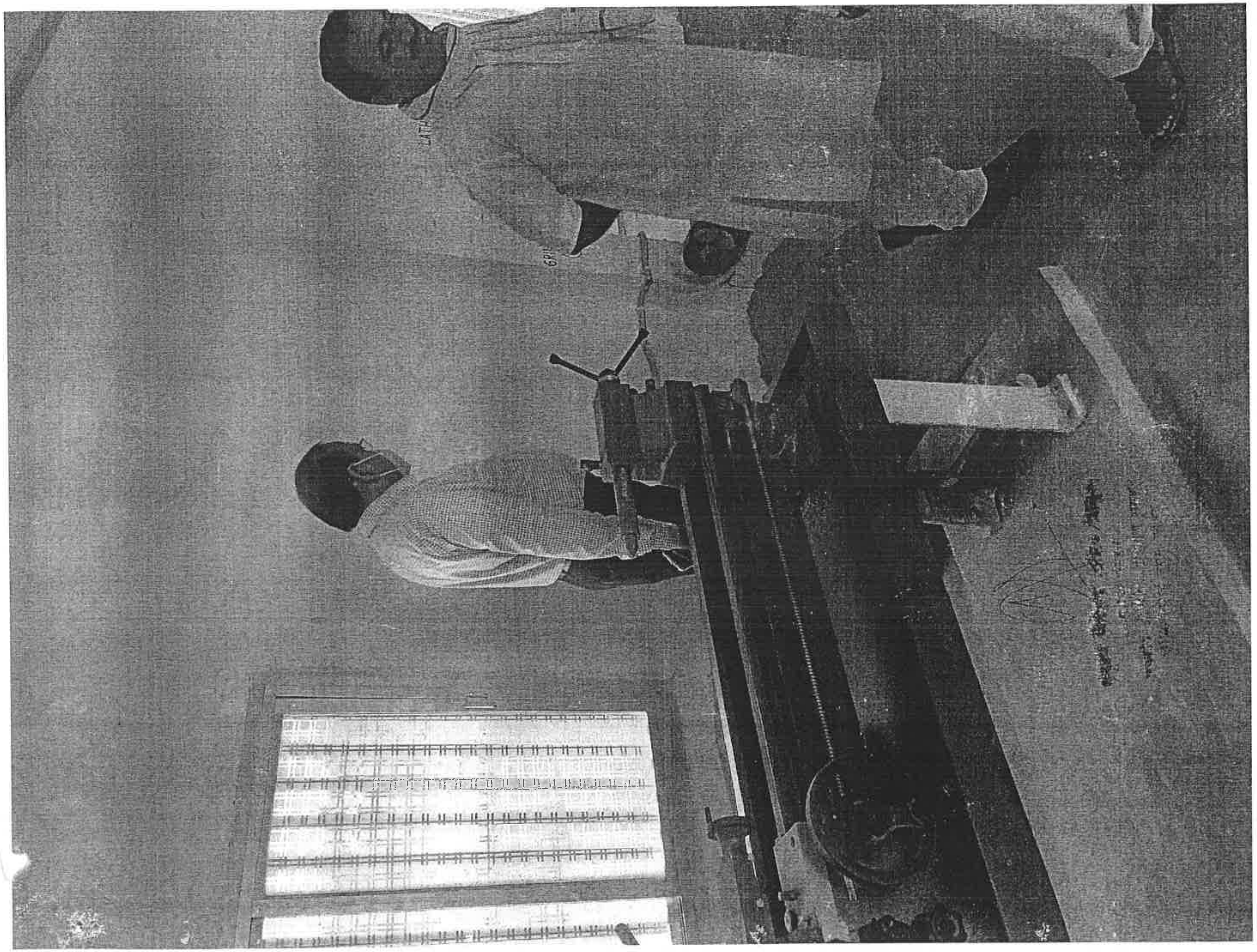

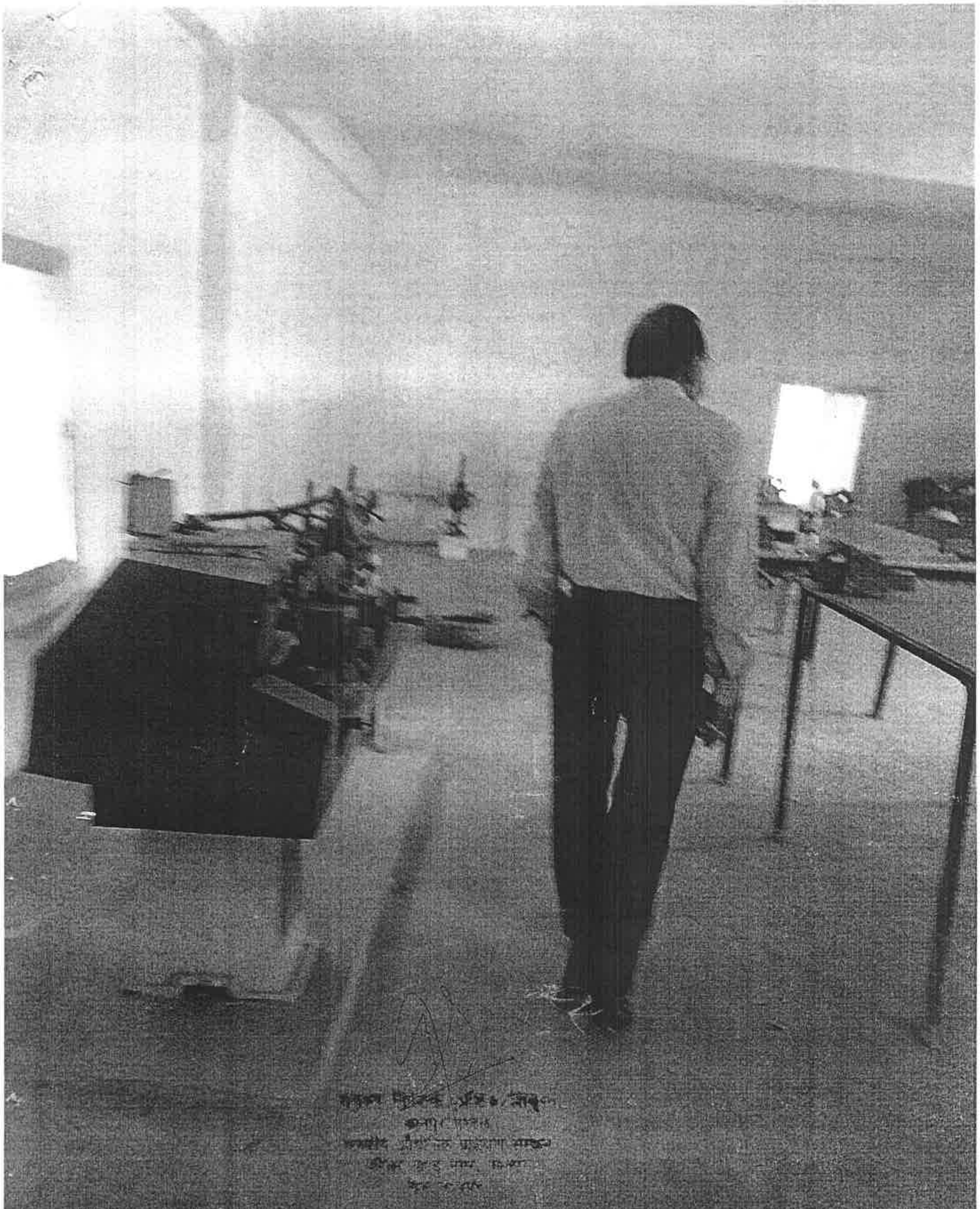

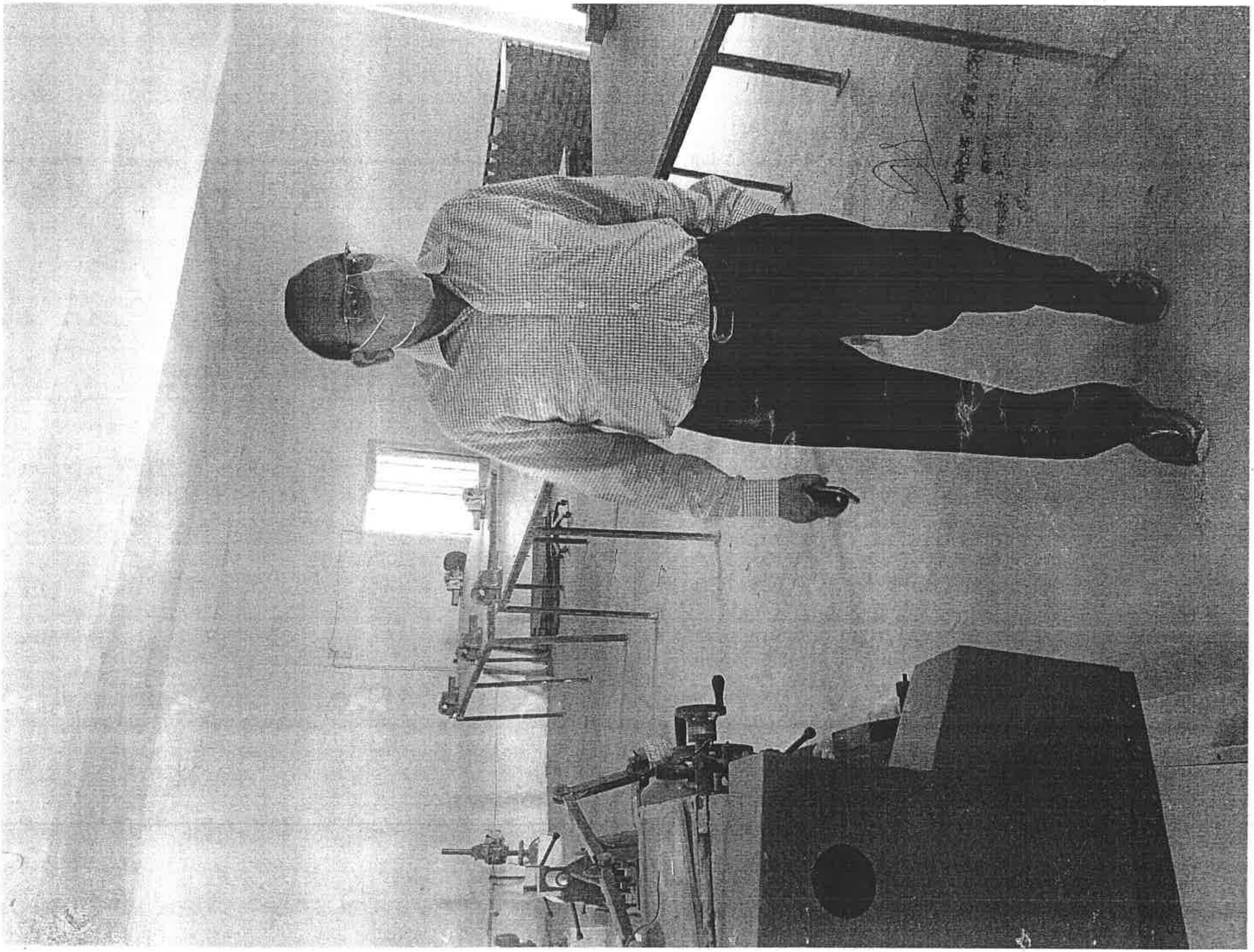

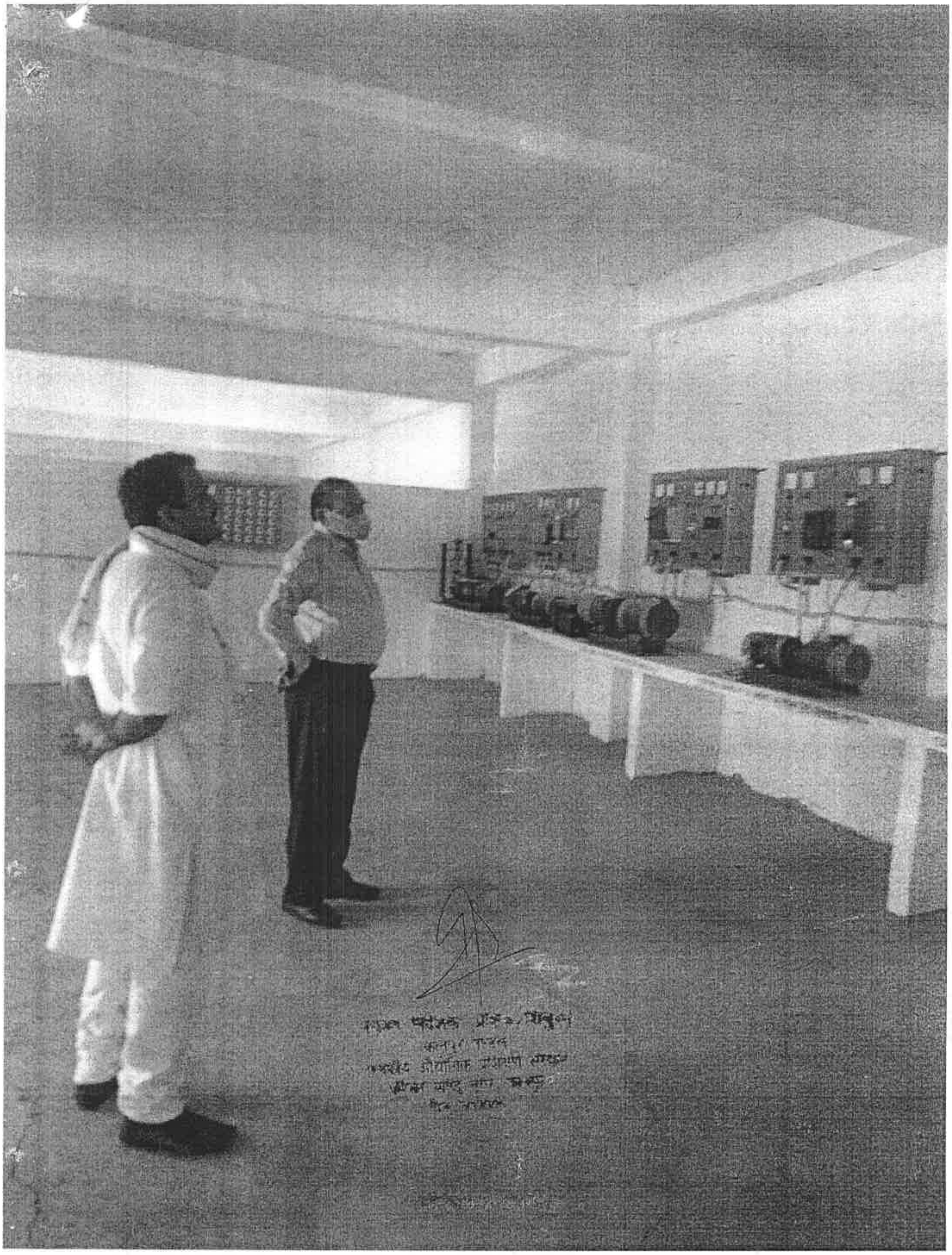

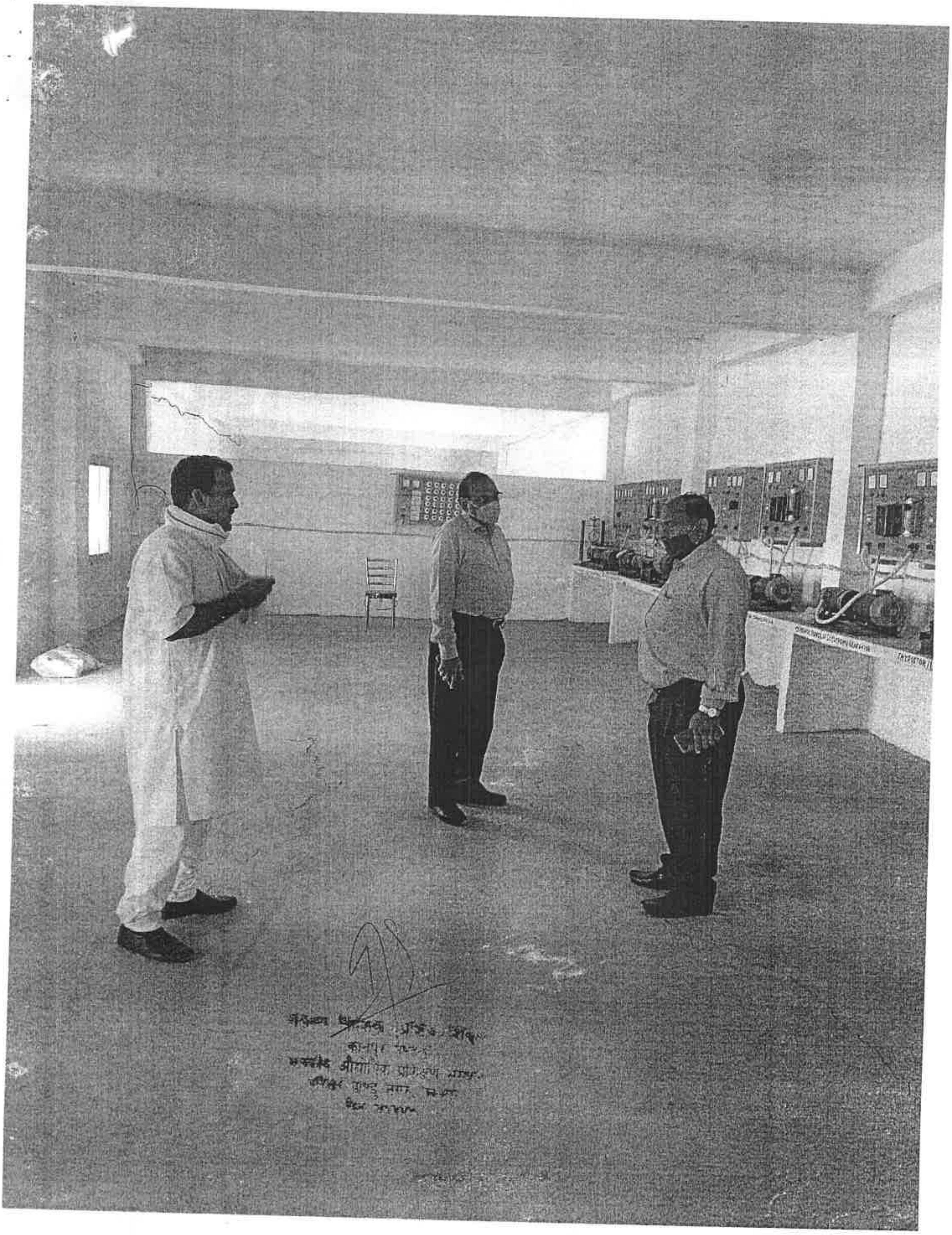

RURAL

Format for Submission of certificate on Competent authority for "No Approved Plan"

TO WHOM IT MAY CONCERN

It is certified that S.R. Pvt I.T.I. ....(Name of ITI and Address) is situated in Gata No - 885 (Plot No./Khasra No./Gatta No.)under ......Rural.................. (Rural/Urban Area) of Vill - Kainjari, Dibiyapur (~~Municipal Corporation~~/revenue Village)where no statutory plan(s)i.e. master plan/development plan, regional plan, peripheral plan etc prepared under the relevant state act(s) are applicable or exist.

तहसील,
[illegible] कुमार दुबे पुत्र [illegible]
[illegible] रामकृष्ण नगर भगवती गंज दिबियापुर
[illegible] जिला औरैया हैं। इनके द्वारा गाटा सं०
885 (जिसमें [illegible]) की भूमि रकबा 0.[illegible] है०
पर एस. आर. प्राइवेट आई. टी. आई. का निर्माण
[illegible] है।
रिपोर्ट सेवा में प्रेषित है।

[signature] Anand Kumar
[illegible]

महोदय
[illegible]
[illegible]

[signature]
17-7-2020

*Signature..........[signature] 17/7/2020
Name..........
Designation..तहसीलदार..........
Address..औरैया..........
....
#Mobile No..[illegible]..........
#Email ID..........

Office Seal

(*Note: To be issued by the competent authority nor below the rank of Tehsildar/Sub-divisional Magistrate / District Planning Office)

(#Note: The Mobile No. and Email ID are mandatory to mentioned by Issuing Authority for further communication and reference).

[signature] 29/09/20
Manager
I.T.I. AURAIYA

सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण—पत्र

नवीकरण संख्या K-1171 2013

फाइल संख्या 1 A-30177

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि [illegible]

को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र संख्या [illegible]

दिनांक 31-08-2007 को दिनांक 31-08-2012 से पाँच वर्ष

की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है।

850/- रुपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक 25/11 2013

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

E-mail : akspvtiti@gmail.com
Website : www.aksiti.co.in

AJIT KUMAR SINGH

PVT. ITI SATE CODE- 2115, N.C.V.T. MIS CODE-PR09000609 **Skill India**

Approved by : Ministry of skill development and entrepreneurship (N.C.V.T.) Gov. of India

Office Address : Padari (Tedha), Mirzapur (U.P.) Pin : 231304, Mob : 9721253737, 8840946959

Ref. No. 254/Du.CL/आई०-E mail AKSITI/2020 Date 23/10/2020

सेवा में,

श्रीमान निदेशक

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय

उ0प्र0 लखनऊ।

विषय– अजित कुमार सिंह निजी आई0टी0आई(2115)मीरजापुर उ0प्र0 के Dual claiming login credentials की समस्या के समाधान हेतू दोनो दावेदारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं SCVT उ0प्र0 अलीगंज लखनऊ को भेजी गयी संयुक्त निदेशक(प्रशि0/शिशि0) विन्ध्याचल मण्डल मीरजपुर की जांच रिर्पोट के आधार पर वास्तविक /अधिकृत उपयोगकर्ता का निर्धारण करते हुए संस्थान के VPP UP पोर्टल पर अधिकृत ई–मेल आई0डी0 (**akspvtiti@gmail.com**) को पुनः जारी करने के संदर्भ में।

महोदय,

मै राजकुमार सिंह प्रबन्धक अजित कुमार सिंह निजी आई0टी0आई(2115) पडरी (टेढा)मीरजापुर DGT नई दिल्ली के उपनिदेशक (TC Section) श्रीमान आर0 मुरूगराजन द्वारा भेजे गये 14 सितम्बर 2020 के Email /पत्र की ओर आपका ध्यान आर्कशित कराना चाहता हूँ जिसमें कहा गया है कि – अजीत कुमार सिंह नीजी आई0टी0आई0 के login credentials के दोहरे दावे के समस्या को निपटाने के लिये दोनो पक्षो को सलाह दी जाती है कि आवशयक दस्तावेजों के साथ राज्य निदेशालय (VPP UP) लखनऊ से सम्पर्क करे और राज्य निदेशालय से अनुरोध है कि कृपया login credentials के दोहरे मुद्दे पर गौर करें"(उपरोक्तानुशार संलग्न है)।

इस सम्बन्ध में महोदय आपको अवगत कराना है कि अजित कुमार सिंह निजी आई0टी0आई(2115) पडरी (टेढा)मीरजापुर के मान्यता(25सितम्बर2012)के पूर्व12 अप्रैल 2012 को एहसास फाउण्डेसन वसंतकुजं नई दिल्ली द्वारा पारित संकल्प प्रस्ताव के शर्तो के अनूशार हमारे(राजकुमार सिंह)स्व0 पुत्र अजित कुमार सिंह के नामपर स्थापित आजित कुमार सिंह निजी आई0टी0आई2115 के आजिवन प्रबन्धक मै (राजकुमार सिंह)अथवा मेरे उत्तराधिकारी होंगे तथा वर्ष2018 के बाद संस्थान का संचालन एहसास फाउण्डेसन नाम से बनाये जाने वाले ट्रस्ट के द्वारा किया जायेगा जिसके मुख्य ट्रस्टी मै (राजकुमार सिंह)अथवा मेरे उत्तराधिकारी होंगे तथा शर्तो के अनुशार मेरे(राजकुमार सिंह)द्वारा टेढा मौजा (तहसील सदर ब्लाक पहाडी जनपद मीरजापुर) के आराजी न0 398 में एहसास फाउण्डेसन वसंतकुजं नई दिल्ली को दान में दी गयी 12 विस्वा जमीन वर्ष2018 के बाद हमारे ट्रस्ट (एहसास फाउण्डेसन न्यास) अथवा अजित कुमार सिंह निजी आई0टी0आई0 के नाम करना था परन्तु कई बार कहने एवं पत्र भेजने (24 अप्रैल2020) के वावजुद भी उपरोक्त जमीन हस्तानान्तरित नहीं कर रहे है। उपरोक्त संकल्प प्रस्ताव(12 अप्रैल2012) के शर्तो के अनुशार बने ट्रस्ट एहसास फाउण्डेसन न्यास पडरी (टेढा)मीरजापुर के द्वारा 1 अप्रैल2019 से अजित कुमार सिंह निजी आई0टी0आई(2115) का स्वामित्व के साथ संचालन किया जा रहा है। जिसके मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक मै (राजकुमार सिंह)ही हूँ। अजित कुमार सिंह निजी आई0टी0आई(2115) का मान्यता प्रकिया से लेकर वर्तमान समय तक सभी पत्राचारों एवं दस्तावेजों पर प्रबन्धक के रूप मे मेरे (राजकुमार सिंह)हस्ताक्षर के ही द्वारा संचालन किया जा रहा है(उपरोक्तानुशार संलग्न है)। एहसास फाउण्डेशन वसंत कुंज नई दिल्ली के अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार द्वारा 26 जनवरी 2020 **(01:06 pm)** को संस्थान की पूर्व अधिकृत ई– मेल आईडी**(akstitipvt@gmail.com)** हैक करके उसका पासवर्ड बदल दिया गया अतः 01 फरवरी 2020 को प्रबन्धक कमेटी के बैठक में सुरक्षा कारणों से नई